मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा

(संक्षिप्त रूप)

1. **स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।** हम सभी स्वतंत्र है। हम सभी की अपनी अपनी धारनायें एवं विचार हैं। हम सभी एक जैसे व्यवहार के हकदार हैं।
2. **भेदभाव न करें।** हममें चाहें कितनी भी भिन्नतायें या मतभेद क्यों न हो, याद रखें कि ये अधिकार हर किसी को प्राप्त हैं।
3. **जीवन पर अधिकार।** हम सभी का जीवन पर अधिकार है, हमें ये अधिकार भी प्राप्त हैं कि हम स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के साथ जी सकें।
4. **दासप्रथा नहीं होनी चाहिए।** हमें कोई अपना गुलाम नहीं बना सकता, न ही हम किसी को अपना गुलाम बना सकते हैं।
5. **उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।** किसी को हमें यातना देनें का, हमें मारने पिटने का या हम पर उत्पीड़न करने का अधिकार नहीं है।
6. **आप कहीं भी जायें, आपको ये अधिकार प्राप्त है।** मैं भी आप जैसा एक इंसान हूं!
7. **कानून के आगे हम सब बराबर हैं।** कानून सब के लिए बराबर है। यह सभी के लिए निष्पक्ष है।
8. **कानून आपके मानवाधिकारों की सुरक्षा करता है।** अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, हम न्याय की शरण में जा सकते हैं।
9. **अनुचित तरीके से किसी को बंद करके नहीं रखना चाहिए।** किसी को हक नहीं कि वह हमें बेवजह जेल में बंद कर दें या हमें देश से निकाल दें।
10. **सुनवाई का अधिकार।** अगर हम पर किसी मामले का आरोप है, तो उसकी सुनवाई सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए। फैसला लेने वाले लोग निष्पक्ष होने चाहिए।
11. **जब तक अपराध साबित न हो, हम निर्दोष हैं।** किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहाराया जाएगा जब तक अपराध साबित न किया गया हो। जब हम पर कोई बुरा काम करने का आरोप लगाया जाता है, हमें पूरा अधिकार है कि हम उस आरोप को असत्य साबित कर सकें।
12. **प्राइवेसि का अधिकार।** किसी को हमारे सम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी को यह अधिकार नहीं कि वह हमारी एकान्तता, परिवार, घर या पत्रव्यवहार के प्रति अनुचित हस्तक्षेप करें।
13. **चलने फिरने तथा घूमने की स्वतंत्रता।** प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक आने, जाने और घूमने का अधिकार है।
14. **सुरक्षित जगह में शरण लेने का अधिकार।** अगर हमें अपने देश में सताये जाने का डर है, तो हमें दूसरे देश में शरण लेने और रहने का अधिकार है।
15. **नागरिकता का अधिकार।** प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र-विशेष की नागरिकता का अधिकार है।
16. **विवाह एवं परिवार।** हर वयस्क व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार शादी करने का एवं वंशवृद्धि करने का अधिकार है। वैवाहिक जीवन के दौरान या फिर विवाह विच्छेद होने पर नारी और पुरूष के अधिकार एक समान है।
17. **अपनी चीज़ों पर मालिकाना हक।** हर एक व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति रखने का अधिकार है, वह उन्हें दूसरों के साथ बाट भी सकता है। कोई हमारी चीज़े बेवजह छीन नहीं सकता।
18. **विचारों की स्वतंत्रता।** हमें पूरी आज़ादी है कि हम अपने विचार रख सके। हम किसी धर्म को मान सकते हैं एवं धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं।
19. **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।** हमें यह अधिकार प्राप्त है कि हम खुद अपनी राय बना सके, जो चाहे वो सोच सके, अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकें।
20. **जनसभा का अधिकार।** अपने अधिकारों की रक्षा के लिये प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने या समिति बनाने की स्वतंत्रता है। कोई भी हमें ज़बरदस्ती किसी संस्था का सदस्य नहीं बना सकता।
21. **लोकतन्त्र का अधिकार।** अपने देश के शासन में हिस्सा लेने का अधिकार हम सभी को है। हर एक वयस्क को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने प्रतिनिधि स्वयं चुने।
22. **सामाजिक सुरक्षा का अधिकार।** अल्पमूल्य घर, चिकित्सा और शिक्षा पर हम सबका अधिकार है, बीमार या वृद्ध व्यक्ति को जीने के लिए ज़रूरी आर्थिक और चिकित्सीय सहायता का अधिकार प्राप्त है।
23. **श्रम अधिकार।** हर वयस्क को काम करने का एवं उचित वेतन पाने का अधिकार है, उन्हें श्रमजीवी संघ में भाग लेने का संपूर्ण अधिकार है।
24. **विश्राम और अवकाश का अधिकार।** प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है।
25. **भोजन और आश्रय का अधिकार।** प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवनस्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसके और उसके परिवार के कल्याण के लिए पर्याप्त हो। सभी को बेकारी, बीमारी, बाल्यावस्था, असमर्थता, गर्भावस्था या बुढ़ापे में सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।
26. **शिक्षा का अधिकार।** प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। शिक्षा कम से कम प्रारम्भिक और बुनियादी अवस्थाओं में नि:शुल्क होगी। शिक्षा द्वारा हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानेंगे और सीखेंगे की कैसे हम दूसरो के साथ शांति और अमन के साथ रह सकें। माता पिता को यह चुनाव करने का अधिकार है कि किस क़िस्म की शिक्षा उनके बच्चों को दी जाएगी।
27. **कॉपीराइट।** कॉपीराइट एक विशेष कानून है जो किसी व्यक्ति की कलात्मक कृतियों की रक्षा करता है; रचयिता की अनुमति के बिना कोई उसकी नकल नहीं कर सकता। हमें अपने तरीके से जीने का हक है, प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कलाओं का आनन्द लेने, तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का हक़ है।
28. **अनुकूल और स्वतंत्र जगत।** समाज में सुव्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम देश-विदेश में अपने अधिकारों का संपूर्ण लाभ उठा सकें।
29. **जिम्मेवारी।** हम समाज के दूसरे लोगो की तरफ जिम्मेवार है, हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के अधिकारों एव स्वतंत्रताओं की रक्षा करें।
30. **कोई आपसे आपके मानवाधिकार नहीं छीन सकता।**